>

Title : Issue regarding implementation of Food Safety Act in Madhya Pradesh.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला सदन के समक्ष उठाना चाहती हूं। पहले हमारे यहां खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम था, उसके बाद हमने 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 बनाया, लेकिन उसके बनते समय भी हम लोगों ने उसका विरोध किया था। उसमें यह बात तो ठीक है कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तथा अपमिश्रण रोकने के लिए यह बनाया गया था। लेकिन इसके कारण छोटे-छोटे व्यापारी और खोमचे वालों को बहुत तकलीफ होगी। भारतीय संस्कृति में या हिंदुस्तान की पद्धति में जिस प्रकार से गांव-गांव खेड़ची विक्रेता रहते हैं, उन्हें तकलीफ होगी, यह बात हमने उस समय भी उठाई थी। अब यह अधिनियम 2011 में लागू किया गया और इसके लागू होने के साथ-साथ ही राज्य स्तरीय समिति बनाई जानी चाहिए थी, जो नहीं बनी है। डिस्ट्रिक्ट में हर जिले में नियम के अनुसार लेबोरेटरी होनी चाहिए, वह नहीं है। अब इसमें जो अनेकानेक नियम बनाये गये हैं, उसके अनुसार छोटे व्यापारी को लाइसेंस लेना अनिवार्य है, नहीं तो पांच लाख का दंड, छः माह का कारावास और एकाध छोटी त्रुटि पाये जाने पर एक वर्ष से दस वर्ष तक का कारावास या एक लाख का अर्थदंड लगाया जायेगा। इसमे यह कठिनाई आ रही है कि जो नियम बनाये गये हैं, वास्तव में अधिनियम का 31 नम्बर सैक्शन देखिये इसमे लिखा है कि जो खोमचे वाले हैं, यह उनके लिए लागू नहीं होगा। लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब रजिस्ट्रेशन करते समय सौ शर्तें लगाई जाती हैं। चाहे होटल वाला हो, डिब्बे वाला हो, चाहे कैन्टीन वाला हो, उनसे सौ शर्तें लिखवाई जाती हैं। उन सौ शर्तों में कुछ ऐसी शर्तें हैं, जैसे हमारे इंन्दौर में गली-गली में पोहे की कड़ाहियां सजती हैं या सब्जी वाली सब्जियां बेचती हैं। अब उन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत पूछेंगे कि आपने इसे आर.ओ. के पानी से धोया है या नहीं। हमारी हिंदुस्तान की सरकार आज की तारीख में लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं दे पा रही है। कोका कोला जैसी बड़ी कंपनी के ऊपर जब बात आती है और उसके पेय में पेस्टिसाइड मिलता है और कंपनी आरोपित होती है, तो वह कहते हैं कि हिंदुस्तान के पानी में पेस्टिसाइड है, हमारा कोई दोष नहीं है। फिर छोटे सब्जी वाले कहां तक इसका पालन कर पायेंगे।

महोदय, इस मुद्दे को लेकर पूरा मध्य प्रदेश तीन दिन तक बंद रहा। इसे लेकर छत्तीसगढ़ में व्यापारी नाखुश हैं। इसे लेकर राजस्थान बंद रहा। इसलिए हमारा कहना है कि इस अधिनियम को लागू करने के पहले जो नियम बनाये गये हैं, उन्हें एक बार फिर से देखना पड़ेगा, ताकि हमारी हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हमारे यहां एक मजदूर जाकर सौ ग्राम तेल लेकर आता है। यहां पर फुटकर व्यापार ज्यादा होता है, हमारे यहां मॉल संस्कृति नहीं है। रिलायंस फ्रैश आदि की सब्जियों की दुकानें ज्यादा नहीं हैं। इसलिए इन सब बातों को देखते हुए इस कानून, इस अधिनियम को पांच साल बाद लागू तो किया गया, लेकिन जो नियम बनाये गये हैं, उन पर फिर से पुनर्विचार होना चाहिए, चूंकि आम व्यापारी और छोटे व्यापारी इससे बहुत त्रस्त हैं। यही बात मैं सदन के सामने रखना चाहूंगी।

सभापति महोदय :

श्री पन्ना लाल पुनिया को उपरोक्त विषय से सम्बद्ध किया जाता है।